यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी के माह 11/2014 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/09/2017 से 07/10/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र संह, स.ले.प.अ., एवं मनोज कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 20/11/2014 से 28/11/2017 तक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से 10/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः चन्यालीसौड़, डुण्डा, मखाड़ी/नहरों का निर्माण/बाढ़ सुरक्षा योजना।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2015-16							
2016-17		संलग्न					
2017-18							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	4711	-	680601000	667714000	
	2245	-	152205000	152205000	
2015-16	4711	-	572229000	572165000	
	4700	-	1500000	1500000	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 06/2015 एवं 10/2015 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। भागीरथी नदी के कनारे माण्डा गांव की बाढ़ सुरक्षा योजना का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 10/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 05/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ₹ (-) 7,26,262/-

   भाग द् वतीय ₹ 3,46,459/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम : ₹ 205961.00

   (ख) सामग्री क्रय : - शून्य-

   (ग) नगद परिशोधन : -शून्य-

   (घ) निक्षेप : 4131483.00

   (ङ) भण्डार : (-) 3205783.00

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत हेतु 394.80 लाख की वसूली का लम्बित रहना ।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी के अ भलेखों की लेखा परीक्षा (सतम्बर 2017) में पाया गया क खण्ड के अन्तर्गत व भन्न नहरों को वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के मध्य लोक निर्माण वभाग द्वारा अपने कार्यों को संपादित कराने हेतु क्षतिग्रस्त कर दिया गया था जिसके मरम्मत हेतु खण्ड द्वारा 462.15 लाख की धनरा श लोक निर्माण वभाग से प्राप्त की जानी थी। कन्तु खण्ड द्वारा उक्त धनरा श के सापेक्ष मात्र 67.35 लाख की धनरा श ही प्राप्त की गयी थी और 394.80 लाख की वसूली लंबित थी जिसके कारण न केवल क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत न होने से संचाई पर वपरीत प्रभाव पड़ रहा था अ पतु समयाव ध के अंतर्गत नहरों का निर्माण न होने से इसके और अ धक क्षतिग्रस्त होने की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा उक्त तथ्य को स्वीकार्य एवं उसकी पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया गया क अवशेष धनरा श को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः खण्ड द्वारा क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत हेतु लो.नि. व. से 394.80 लाख की लम्बित वसूली का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1 1.35 करोड़ नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय होने के उपरान्त भी सीचंन क्षमता के सापेक्ष वास्त वक रूप से कम संचाई सु वधा प्रदान कया जाना।

संचाई खण्ड का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र के कृषकों को संचाई सु वधा उपलब्ध करावना है, जिससे उनका सामाजिक एवं आ र्थक स्तर ऊपर आ सके। खण्ड द्वारा कुल 90 नहरों के माध्यम से अपने क्षेत्र के कृषकों को संचाई सु वधा प्रदान की जाती है।

संचाई खण्ड उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा माह (सतम्बर 2017) में पाया गया क खण्ड द्वारा कुल संचन क्षमता से काफी कम सींच दर्ज की जा रही थी। ववरण निम्नानुसार हैः

फसल	संचन क्षमता (हैक्टेयर)	वास्त वक सींच वर्ष 2015 (हैक्ट)	वास्त वक सींच वर्ष 2016 (हैक्ट)	वास्त वक सींच वर्ष 2017 (हैक्ट)
रबी	1444	157.84 (10%)	161.73 (11%)	205.09 (14%)
खरीफ	2137	670.20	739.41	724.16
कुल सींच	3581	828 (23%)	901.15 (25%)	929 (26%)
नहरों के अनुरक्षण एवं रखरखाव पर व्यय	-	₹ 78.24	₹ 38.69	₹ 17.70

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क खण्ड द्वारा कुल संचन क्षमता 3851 (है.) के सापेक्ष वर्ष 2015 में 828 (है.), वर्ष 2016 में 901.15 (हैं.) एवं वर्ष 2017 में कुल 929 (हैं.) क्षेत्रफल में ही वास्त वक सींच कृषकों को प्रदान की जा सकी जब क उपरोक्त नहरों के रखरखाव एवं अनुरक्षण पर क्रमशः 78.24 लाख 38.69 लाख एवं 17.70 लाख कुल 1.35 करोड़ व्यय कए गए थे। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर बतलाया गया क सींच वास्त वकता के आधार पर है स्पष्ट है क खण्ड के अधीन उपलब्ध (Command Area (CA) के सापेक्ष काफी कम क्षेत्र सीं चत था।

अतः अनुरक्षण एवं रखरखाव पर 1.35 करोड़ व्यय होने का बाद भी काफी कम संचाई सु वधा अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों को पदान कए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2004-05	-	2
46/2005-06	-	2
05/2006-07	-	2,1,3
53/2011-12	2	1
57/2014-15	-	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) माण्डो गांव की बाढ़ सुरक्षा योजना में अवशेष धनरा श।

(ii) 96.92 लाख के व्यय से संबं धत अनुबंध/अ भलेख।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री प्रेम संह पवार	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. मु. नौशाद आलम
2. श्री धीरेन्द्र कुमार

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II